



2026:AHC:13863

प्रकाशनाथ अनुमोदित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 8658 वर्ष 2025

विनीता

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

डॉ. वेद प्रकाश सिंह

....विपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार सिंह, गौरव सूर्यवंशी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कान्त शुक्ला

1. श्री गौरव सूर्यवंशी, पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 07.05.2025 को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कुशीनगर, पडरौना द्वारा प्रकरण संख्या 600 वर्ष 2019, विनीता बनाम डॉ. वेद प्रकाश सिंह में पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के अंतरिम भरण-पोषण हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।

3. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आदेश अवैध, मनमाना तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित किया गया है। यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय तथ्यात्मक अनियमितता की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय का निर्णय इस आधार पर दिया गया है कि विपक्षी पक्ष गोलीकांड की घटना के कारण अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो गया है जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के सगे भाई एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसकी हत्या का प्रयास किया गया था।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि पुनरीक्षणकर्ता ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें उसने प्रतिवादी से भरण-पोषण की मांग की थी और स्वयं को उसकी विधिवत विवाहित पत्नी होने का दावा किया था।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) निम्नानुसार है:

“125. पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश।

(1) यदि पर्याप्त साधन संपन्न कोई व्यक्ति भरण-पोषण करने में लापरवाही करता है या इनकार करता है—

(क) उसकी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) उसका वैध या अवैध नाबालिग बच्चा, चाहे विवाहित हो या नहीं, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या

(ग) उसका वैध या अवैध बच्चा (विवाहित बेटी को छोड़कर) जो बालिग हो चुका हो, यदि ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या

(घ) यदि उसका पिता या माता, स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के प्रमाण मिलने पर, ऐसे व्यक्ति को उसकी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, ऐसी मासिक दर पर [* * *]/शब्द "कुल मिलाकर पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं" 2001 के अधिनियम 50, द्वारा 24.9.2001 से प्रभावी रूप से हटा दिया गया है।], जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, और उसे ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित करे:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बशर्ते कि मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट नाबालिग कन्या के पिता को उसके बालिग होने तक ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि ऐसी नाबालिग कन्या का पति, यदि विवाहित है, तो उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट इस उपधारा के तहत भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते से संबंधित कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही के खर्चों का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और समय-समय पर निर्देशित किए गए ऐसे व्यक्ति को इसका भुगतान कर सकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी कि, द्वितीय परंतुक के तहत कार्यवाही के अंतरिम भरण-पोषण और व्यय के लिए मासिक भत्ते हेतु आवेदन का निपटारा, जहां तक संभव हो, आवेदन की सूचना प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा। [अधिनियम 50 ऑफ 2001, धारा 2 (24-9-2001 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।]

स्पष्टीकरण। - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "नाबालिग" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 ([1875 का 9](#)) के प्रावधानों के तहत वयस्कता प्राप्त न करने वाला माना जाता है।

(ख) "पत्नी" में वह महिला भी शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया है और जिसने दोबारा शादी नहीं की है।

7. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कैप्टन रमेश चंद्र कौशल बनाम श्रीमती वीणा कौशल एवं अन्य (1978)4 एससीसी 70 के अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि भरण-पोषण नियमों का उद्देश्य है :

"9. यह प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की रक्षा हेतु अधिनियमित किया गया है तथा यह अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक क्षेत्राधिकार में आता है, जिसे अनुच्छेद 39 द्वारा सुदृढ़ किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे विधिक उपबंध, जिनकी न्यायालयों द्वारा व्याख्या की जानी है, मात्र जड़ मुद्रित शब्द नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों को पूरा करने वाले सजीव शब्द हैं। महिलाओं और बच्चों जैसे दुर्बल वर्गों के प्रति संवैधानिक सहानुभूति की व्यापक उपस्थिति को व्याख्या में समाहित करना आवश्यक है, यदि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसे सामाजिक प्रासंगिकता बनाए रखनी है। इस प्रकार देखा जाए तो दो विकल्पों में से उस व्याख्या का चयन करना संभव है जो उद्देश्य को आगे बढ़ाती है — अर्थात् उपेक्षितों के उद्देश्य को।”

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए:

(i) जिसके विरुद्ध राहत मांगी जा रही है, उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए;

(ii) आवेदक-पत्नी स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ होनी चाहिए;

(iii) पत्नी को प्रतिवादी (पति) से अलग रहना चाहिए;

(iv) ऐसा अलग निवास उचित और न्यायसंगत कारणों से होना चाहिए।

9. जसबीर कौर सहगल (श्रीमती) बनाम जिला न्यायाधीश, देहरादून एवं अन्य, (1997) 7 एससीसी 7 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“8. भरण-पोषण की राशि तय करने के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं बनाया जा सकता। यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि, कुछ हद तक रियायत की गुंजाइश हमेशा रहती है। अदालत को पक्षों की स्थिति, उनकी संबंधित आवश्यकताओं, पति की भुगतान करने की क्षमता पर विचार करना होगा, जिसमें उसके अपने भरण-पोषण और कानून के तहत उसके द्वारा किए जाने वाले उचित खर्चों को ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही वैधानिक लेकिन अनैच्छिक भुगतान या कटौतियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। पत्नी के लिए निर्धारित भरण-पोषण की राशि ऐसी होनी चाहिए जिससे वह अपनी स्थिति और अपने पति के साथ रहने के दौरान जिस तरह की जीवनशैली की आदी थी, उसे ध्यान में रखते हुए उचित आराम से रह सके, और साथ ही उसे अपने मामले की पैरवी करने में कोई बाधा महसूस न हो। साथ ही, इस प्रकार निर्धारित राशि अत्यधिक या जबरन वसूली नहीं हो सकती।

10. विवादित आदेश के सरसरी तौर पर अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने यह दर्ज किया है कि विपक्षी पक्ष द्वारा दायर आपत्तियों के अनुसार, वह (विपक्षी पक्ष) एक होम्योपैथी चिकित्सक है जो अपना क्लिनिक चलाता है। हालांकि, 13.04.2019 को, जब वह अपने नियमित पेशेवर कार्य में

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

लगा हुआ था, याचिकाकर्ता के सगे भाई और पिता चार अन्य व्यक्तियों के साथ उसके क्लिनिक में आए, उसे गंदी गालियां दीं और उसको जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर, याचिकाकर्ता के भाई ने विपक्षी पक्ष पर गोली चला दी, जिससे उसे गोली लगने से चोट आई। गोली अभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है, और चिकित्सीय सलाह के अनुसार, इसे निकालने का कोई भी प्रयास पक्षाघात का कारण बन सकता है। उक्त चोट के कारण, विपक्षी पक्ष थोड़ी देर के लिए भी आराम से बैठ नहीं सकता है और परिणामस्वरूप, वह बेरोजगार हो गया है और कोई आय अर्जित करने में असमर्थ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अंतरिम भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया।

11. उपरोक्त तथ्यों के सामने रखे जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यात्मक निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे सके और बहस के दौरान केवल यही जोर देते रह कि विपक्षी पक्ष एक डॉक्टर है और इसलिए उसके पास पर्याप्त साधन हैं। यह तर्क दिया गया कि पर्याप्त साधन होने के बावजूद, विपक्षी पक्ष पुनरीक्षणकर्ता का भरण-पोषण करने में विफल रहा है और विचारण न्यायालय ने गंभीर अनियमितता की है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का मत है कि पति का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे, और सामान्यतः, पर्याप्त साधनों वाला पति जो अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में लापरवाही करता है या इनकार करता है, वह कानून का सहारा नहीं ले सकता। भारतीय समाज में यह सर्वमान्य है कि पति से, नियमित रोजगार न होने पर भी, यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार उपयुक्त कार्य करे ताकि वह अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। हालांकि, वर्तमान मामला भिन्न है। पहले, विपक्षी पक्ष अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम था और उसके पास पर्याप्त साधन थे, लेकिन पुनरीक्षणकर्ता के भाई और पिता द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के कारण उसकी कमाई की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई। इस प्रकार, पुनरीक्षणकर्ता पक्ष के आचरण के कारण ही विपक्षी पक्ष कमाई करने में असमर्थ हो गया और उसके पास पर्याप्त साधन नहीं बचे।

12ए. यह सर्वविदित है कि यद्यपि पति का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे, फिर भी किसी भी न्यायालय द्वारा पत्नी पर ऐसा कोई स्पष्ट कानूनी कर्तव्य नहीं लगाया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के आचरण ने प्रतिपक्ष को अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ बना दिया है। यदि पत्नी अपने कार्यों या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चूक से अपने पति की आय अर्जित करने की अक्षमता का कारण बनती है या उसमें योगदान देती है, तो उसे ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर भरण-पोषण का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी परिस्थितियों में भरण-पोषण प्रदान करना पति के साथ घोर अन्याय होगा, और न्यायालय अभिलेखों से उभरती वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकता।

13. कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नी नंदी, (2017) 14 एससीसी 200 के मामले में यह माना गया कि पत्नी को दी जाने वाली स्थायी भरण-पोषण राशि पक्षों की स्थिति और पति/पत्नी की भरण-पोषण भुगतान करने की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। भरण-पोषण हमेशा मामले की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है और न्यायालय विभिन्न कारकों के आधार पर भरण-पोषण के दावे को संशोधित करने में उचित होगा।

14. शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान, (2015) 5 एससीसी 705 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे और जब तक वह कमाने में सक्षम है, तब तक उसे वित्तीय कठिनाइयों का बहाना बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार न्यायालय ने पति के भरण-पोषण के दायित्व को उसकी वास्तविक कमाने की क्षमता पर निर्भर बना दिया।

14ए. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि विपक्षी पक्ष को गोली लगने से गंभीर रूप से चोट आई है, जिसमें एक छर्छा उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसा हुआ है, और चिकित्सीय सलाह से संकेत मिलता है कि किसी भी शल्य चिकित्सा से पक्षाघात का गंभीर खतरा है। ऐसी शारीरिक अक्षमता के कारण, विपक्षी पक्ष अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो गया है। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उक्त शारीरिक अक्षमता पुनरीक्षणकर्ता पक्ष के कारण हुई है।

15. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई स्पष्ट अवैधता या महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं की है। विचारण न्यायालय ने न तो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में चूक की है और न ही उसका उल्लंघन किया है। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

16. तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला)

जनवरी 19, 2026

बृजेश मौर्य

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"